

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद—अमेठी

पत्रांक:स्टेनो / मान्यता/अंग्रेजी/ १४५६-५८ / 2017-18

दिनांक- २१/०२/१८

प्रबन्धक,

**क्षेत्रपालिंग-रुद्रपुर्णपाल सिंह बल्लोबाल  
स्कूल शूपात्र अधिकारी भवन गरजिंठ खण्ड,  
अमेठी, जनपद- अमेठी।**

**विषय-** विद्यालय को नर्सरी से कक्षा आठ तक की अंग्रेजी माध्यम की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

**महोदय/महोदया,**

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के कम में शासनादेश संख्या: 419/79-6-2013-18(20)/91 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 के प्राविधानों के अंतर्गत मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 07.02.2018 में लिये गये निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को नर्सरी से कक्षा आठ तक अंग्रेजी माध्यम की, निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ नियमावली में चलिंगित प्राविधानों के अन्तर्गत औपचार्यित, अनंतिम/अस्थायी, मान्यता प्रदान की जाती है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में मान्यता स्तर के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम-2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय के नर्सरी कक्षा में (या यथास्थिति कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 के उपधारा(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समूह न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
  - (1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
  - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - (5) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवयकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
  - (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जायेगी।
  - (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
6. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।
7. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेंगी।
8. विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 क 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा ही चलाया जायेगा।
9. स्कूल को किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसिएशन को लाभ पहुँचाने अथवा लाभ प्राप्त करने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
10. विद्यालय के लेखाओं का किसी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा सम्परीक्षा कराया जायेगा और उसके द्वारा प्रमाणित किया जायेगा कि विद्यालय द्वारा लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया गया है। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संस्थानों या कौड़ास्थल का प्रयोग केक्त शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा। विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक किया कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा। विद्यालय भवन वाहय रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
12. विद्यालय द्वारा पंजीकरण शुल्क, स्कूल भवन शुल्क, तथा कैपिटल जन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित है। बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

*Amrit Singh*  
**Secretary**  
Rishi Ranamay Singh Shiksha Sanskriti  
Shri Bhawan Ramnagar, Gaur-Amethi  
Rishi Ranamay Singh Global School  
Gaur-Amethi

- ज 13. मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण-शुल्क एवं गहंगाई-शुल्क गिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हो, इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन गुणतान के पश्चात शुल्क आय से 20 प्रतिशत से अधिक बचत नहीं होगी।
14. विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। वैसिक शिक्षा विभाग के विकास खण्ड/जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अथवा अन्य किसी सकाम निर्देशों का पालन विद्यालयों द्वारा सूचना मौगे जाने पर आवश्यक आख्यायें एवं सूचनाएँ निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेंगी तथा दौरान सम्पूर्ण सहयोग एवं अग्रिमत्र प्रस्तुत करना बाध्यकारी होगा।
15. इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की योग्यता वही होगी जैसा कि उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली 1981 यथा अद्यतन संशोधित नियमावली तथा उ0प्र० मान्यता प्राप्त वैसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली 1978 (यथा अद्यतन संशोधित) में वर्णित है। इसी प्रकार शिक्षक/शिक्षणपत्र कर्मचारियों को विना जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के न तो नियुक्त किया जायेगा और न ही सेवा से पृथक किया जा सकता है।
16. उ0प्र०वैसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पठन-पाठन कराया जाए। मान्य पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की पुस्तक का पठन-पाठन न कराया जाए और किसी विशेष प्रकाशन की स्टेशनरी का क्य किये जाने हेतु छात्रों पर दबाव न बनाया जाए न ही अभ्यास पुस्तिकाओं पर विद्यालयों का नाम मुद्रित कराकर क्य हेतु बाध्य किया जाए।
17. शासनानुदेश में वर्णित उपवन्ध्यों के अनुसार प्रत्येक कक्षानुभाग के प्रति छात्र संख्या के अनुरूप स्थान उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय में कक्षावार उतने ही छात्र/छात्राओं का प्रवेश दिया जाए जिनके बैठने की समुक्ति व्यवस्था हो।
18. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण समय-समय पर सुनिश्चित किया जाए।
19. मान्यता स्तर के शिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 की धारा-6 के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार अहंताधारी अध्यापक/अध्यापिका उपलब्ध होना आवश्यक है।।
20. विद्यालय के कर्मचारियों के लिए प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा-नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परिवेशाकाल, स्थायीकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि समत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सेवा नियमावली में अवकाश, पेंशन, ग्रेचुर्टी, बीमा, पी0एफ० तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
21. भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय धर्म व सर्व धर्म समावाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्मानिति के लिए प्राविधान समितियों तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा मान्यता आदेश निर्गत करने के उपरान्त विद्यालय की मान्यता हेतु आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के साथ संलग्न अग्रिमत्रों/प्रपत्रों/सूचनाओं तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या/निरीक्षण आख्या में वर्णित सूचनाओं में यदि त्रुटिपूर्ण/गिरिया/भ्रामक/तथ्यगोपन की स्थिति किसी भी स्तर पर पायी जाती है तो आपके विद्यालय को प्रदत्त मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका ही होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समय-समय पर जारी विभागीय आदेशों/शासनानुदेशों/अधिनियमों/आर0टी0आई0 मानकों में वर्णित समस्त नियमों एवं शर्तों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(राजकुमार पंडित)  
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
जनपद अमेरी

#### प० सं० पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित—

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक) फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-अमेरी को सूचनार्थ एवं उक्तवत् अनुणलनार्थ।

*Amrit Singh*  
Secretary  
Shri Ranvir Singh Shiksha Sanskrati  
Bhawan Ramnagar Garh-Amedhi

*Jinesh*  
PRINCIPAL  
RAJESH RAHUL KUMAR SHIV GLOBAL SCHOOL  
RAJ NAGAR HAZRAJETTA

/ /  
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
जनपद अमेरी.